बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0स0 :– 3/अ0प्र0–1–332/2010 755 /पटना, दिनांक :– 5-4-22

श्री जितेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हिलसा–2 के विरूद्ध नालंदा जिलान्तर्गत मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत कराय परसुराय के छितरबिगहा के पूरब कटाव में खरभईया के दक्षिण पुल निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता के लिये गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर अधिसूचना संख्या–2684–सह–पठित ज्ञापांक–2685 दिनांक 28.08.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 7802 अनु0 दिनांक 31.10.2018 से विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप अप्रमाणित होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

3. उपलब्ध अभिलेखों के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा से यह परिलक्षित हुआ कि संचालन पदाधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता–1 के प्रतिवेदन दिनांक 30.07.2013 एवं दिनांक 27.05.2016 के ही आधार पर विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जबकि पूर्व में विभागीय समीक्षा में उक्त प्रतिवेदनों को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया था। तद्लोक में मामले की समग्र समीक्षा की गई। श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–2 के संबंध में समीक्षोपरान्त पाया गया कि संबंधित त्रुटिपूर्ण कार्यों/असंपादित कार्यों का द्वितीय चालू विपत्र में की गई मापी श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 16.04.2010 को हस्ताक्षारित है। जाँचित तिथि 21.04.2011 तक संवेदक द्वारा सुधार नही किया गया। इसके बावजूद श्री प्रसाद द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं दिया गया और न ही संवेदक से इस मामले में कोई पत्राचार किया गया। इसके अतिरिक्त आरोप संख्या–3 के संबंध में समीक्षोपरान्त पाया गया कि योजना के एप्रोच्च में पी0सी0सी0 के प्रावधानित मुटाई 150 मि0मी0 की जगह 50 मि0मी0 पाया गया एवं पुल के दोनों तरफ का एप्रोच्च स्लैब क्षतिग्रस्त/धंसा हुआ पाया गया, जो त्रुटिपूर्ण कार्यों का परिचायक है। उक्त त्रुटिपूर्ण कार्यों की मापी की प्रविष्टि कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त में किया गया, यह तथ्य श्री प्रसाद के संज्ञान में रहने के बावजूद कनीय अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता को समर्पित नहीं किया गया। साथ ही उक्त वर्णित त्रुटियों का सुधारात्मक कार्य संवेदक द्वारा जाँचित तिथि तक नहीं किया गया। उक्त योजना के सहायक अभियंता के रूप में श्री प्रसाद ही संबद्ध थे।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–2 एवं आरोप संख्या–3 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के उक्त बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 272 अनु0 दिनांक 06.02.2019 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री प्रसाद के पत्रांक 1005 दिनांक 14.06.2019 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा के दरम्यान पुनः श्री प्रसाद के पत्रांक 07 दिनांक 14.01.2020 द्वारा यह सूचित करते हुए की पूर्व में समर्पित द्वितीय बचाव बयान के साथ तीन साक्ष्य

संलग्न नहीं था, को संलग्न करते हुए इस पर विचार करने का अनुरोध किया गया। श्री प्रसाद द्वारा प्रश्नगत् मामले से संबंधित प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा इसके पूर्व कभी भी इन साक्ष्यों का जिक्र नहीं किया गया है, जो संदेह उत्पन्न करता है। उल्लेखनीय है कि योजना की मूल जॉच प्रतिवेदन में जॉच पदाधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया कि जॉच की तिथि 21.04.2011 को जॉच के समय उपस्थित अभियंताओं द्वारा बताया गया कि संवेदक को सारी त्रुटियों को सुधार करने हेतु मौखिक निदेश दिया गया है, परन्तु संवेदक द्वारा कोई रूचि नहीं लिया जा रहा है। अतएव वर्णित समीक्षा के आलोक में श्री प्रसाद का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. इस बीच श्री प्रसाद के दिनांक 30.09.2019 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप आदेश संख्या–811 दिनांक 06.07.2021 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

7. उक्त आलोक में श्री जितेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा–2 सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से 05 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती दो वर्ष तक करने के निर्णित दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

8. उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1715 अनु0 दिनांक 19.11.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3884 दिनांक 16.03.2022 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

9. अतः उक्त आलोक में श्री जितेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा–2 सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती 02 (दो) वर्ष तक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

04.04.22

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–332/2010 758 /पटना, दिनांक :– 5-4-22

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.04.22

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–332/2010 758 /पटना, दिनांक :– 5-4-22

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) हेतु प्रेषित।

04.04.22

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–332/2010 758 /पटना, दिनांक :– 5-4-22

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री जितेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा–2 सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, पत्राचार का पता :– ज्योतिपूरम अपार्टमेंट, डी0/222, जगदेव पथ चौराहा, रूकनपुरा, बेली रोड, पाया नं0–10, जिला–पटना, पिन कोड–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.04.22

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–332/2010 758 /पटना, दिनांक :– 5-4-22

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3884 दिनांक 16.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

04.04.22

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–332/2010 758 /पटना, दिनांक :– 5-4-22

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04.04.22

उप सचिव